**न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर**

**पीठासीन अधिकारी :– एल. एन. मंत्री, आर॰ए॰एस॰**

**प्रकरण संख्या 1/2018 (राजसमन्द डिक्री)**

श्रीमती नाथी पत्नी श्री शफी मोहम्मद पुत्री श्री नन्हें खां मुसलमान, निवासी रेलमगरा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)

..... अपीलान्ट

**बनाम**

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)

..... रेस्पोन्डेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा–223 रा0 का0
अ0–1955 विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री
उपखण्ड अधिकारी रेलमगरा दिनांक
30–11–2017 प्रकरण सं. 158/2016

———::———

उपस्थित (वक्तबहस) 1– श्री एस. के. मेहता अभिभाषक अपीलान्ट
2– राजकीय अभिभाषक

———::———

**निर्णय** **दिनांक 15–03–2018**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में वादी/अपीलान्ट 1 द्वारा प्रतिवादी/रेस्पोन्डेन्ट के विरूद्ध घोषणा एवं इन्द्राज दुरस्ती का वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम रेलमगरा में आराजी नंबर 1843 रकबा 9 बिस्वा भूमि स्थित है, जिसके साबिक आराजी नंबर 1531 रकबा 10 बिस्वा होकर वादिया के पिता के खातेदारी में दर्ज थी तथा वादिया को विरासत से प्राप्त हुई है। भू–प्रबन्ध के दौरान उक्त साबिक आराजी नंबर 1843 का नयी जरीब अनुसार रकबा 13 बिस्वा होना चाहिए था, परन्तु वादिया के पिता के खाते में 9 बिस्वा भूमि ही अंकित की, जबकि मौके पर भूमि 13 बिस्वा होकर वादिया सम्पूर्ण भूमि पर काबिज है। अतएवं वादिया को हाल आराजी नंबर 1843 रकबा 9 बिस्वा के स्थान पर 13 बिस्वा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

प्रकरण में प्रतिवादी सरकार की ओर से खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत किया गया।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्लीडिंग्स के आधार पर निम्नानुसार 4 तनकियात कायम की गयी :–

1. आया राजस्व ग्राम रेलमगरा तहसील रेलमगरा की सीमा में स्थित आराजी संख्या 1843 रकबा 9 बिस्वा भूमि वादिया के खातेदारी अधिकार की है ? ..... वादिया
2. आया आराजी नंबर 1843 के साबिक आराजी नंबर 1531 रकबा 10 बिस्वा होकर वादिया के पिता के नाम दर्ज थी ? ..... वादिया
3. आया आराजी नंबर 1531 रकबा 10 बिस्वा भूमि सेटलमेन्ट से पूर्व पुरानी जरीब से थी, जो नई जरीब के अनुसार 13 बिस्वा रेकार्ड में दर्ज होनी चाहिए ? ..... वादिया
4. अनुतोष ?

अधिनस्थ न्यायालय ने उभयपक्षों द्वारा पेश शुदा साक्ष्य सबूतों के आधार पर दिनांक 16–09–2011 को प्रकरण संख्या 278/2010 में निर्णय पारित करते हुए वादिया का वाद खारिज कर दिया तथा कथन किया कि आराजी नंबर 1843 रकबा 9 बिस्वा आराजी नंबर 1531 मी. रकबा 10 बिस्वा बताया है से बनना बताया गया सही है, जबकि वादिया आराजी नंबर 1531 बता रही है, जिससे वादिया का वाद मिलान खसरा से साबित कराने में असफल होना प्रतीत होता है।

अधिनस्थ न्ययालय के उक्त निर्णय ये रूष्ट होकर वादिया ने इस न्यायालय में अपील संख्या 16/2013 पेश की जिसमें इस न्यायालय द्वारा दिनांक 05–07–2016 को निर्णय पारित करते हुए प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को तनकीवार निर्णय पारित करने तथा आराजी नंबर 1531 एवं 1531 मी. के अन्तर की जगह सारभूत निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पुनः प्रकरण संख्या 158/2016 के रूप में दर्ज किया जाकर उभयपक्षों को सुनकर तनकीवार निर्णय पारित करते हुए अपने निर्णय दिनांक 30–11–2017 से वादिया का वाद खारिज कर दिया,

जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/वादिया द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 12–01–2018 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्ट सरकार को नोटिस जारी किये जाने पर उनकी ओर से राजकीय अभिभाषक श्री पंकज भटनागर उपस्थित हुए। प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

दौराने बहस वकील अपीलान्ट द्वारा अपने मीमों ऑफ अपील में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराया गया तथा अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को त्रुटि पूर्ण बताते हुए अपास्त करने की प्रार्थना की। वहीं राजकीय अभिभाषक ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को सही बताते हुए अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करने की प्रार्थना की।

वकील अपीलान्ट द्वारा प्रमुख उजर यह लिया कि अधिनस्थ न्यायालय ने आप न्यायालय के प्रेक्षणों पर कोई गौर नहीं किया है तथा तनकी नंबर 3 का निर्णय वादिया/अपीलान्ट के विरूद्ध करने में त्रुटि की है। अधिनस्थ न्यायालय ने यह माना कि वादिया ने कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है, जबकि वादिया द्वारा पूर्ण रूप से दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये गये हैं, जिस पर अधिनस्थ न्यायालय ने कोई गौर नहीं किया है। अधिनस्थ न्यायालय के अधिनस्थ तहसीलदार एवं उनके अधिनस्थ कर्मचारी जो कि भूमिधारी की श्रेणी में हैं, भूमि संबंधी सारे अभिलेख वे ही संधारित करते हैं, फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्यों का विवेचन किये बिना एवं मौके की जांच किये बिना निर्णय पारित किया है, जो त्रुटि है।

→ हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं रेकार्ड का अवलोकन किया गया तथा अपीलान्ट द्वारा लिये गये उजरात एवं बहस पर मनन किया गया तो यह पाया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में कुल 3 तनकियात कायम की गयी हैं, जिसमें से तनकी नंबर 1 व 2 का निर्णय वादिया के पक्ष में किया है। प्रकरण में मूल तनकी तनकी नंबर 3 थी, जिसमें वादिया को यह प्रमाणित कराना था कि उसकी साबिक आराजी नंबर 1531 रकबा 10 बिस्वा का हाल आराजी नंबर 1843 रकबा 13 बिस्वा बना है। प्रकरण में अपीलान्ट द्वारा पेश शुदा दस्तावेजी साक्ष्यों से यह सुस्पष्ट है कि हाल आराजी नंबर 1843 रकबा 9 बिस्वा का साबिक आराजी नंबर 1531

रकबा 10 बिस्वा था। वादिया के साबिक खाते में कुल 8 आराजियात रकबा 6 बीघा 12 बिस्वा थे तथा वर्तमान खाते में कुल खसरा 6 रकबा 10 बीघा 14 बिस्वा बना है। मिलान क्षेत्रफल के अवलोकन से यह सुस्पष्ट होता है कि साबिक आराजी नंबर 1531 मी. रकबा 10 बिस्वा से वर्तमान आराजी नंबर 1843 रकबा 9 बिस्वा बना है। रूपान्तरित क्षेत्रफल के अनुसार अपीलान्ट को साबिक आराजी नंबर 1531 रकबा 10 बिस्वा की तुलना में वर्तमान में आराजी नंबर 1843 रकबा 9 बिस्वा भूमि मिली है, जबकि उसे 13 बिस्वा भूमि मिलनी चाहिए थी अर्थात हाल आराजी नंबर 1843 में उसका 4 बिस्वा रकबा कम दर्ज हुआ है। हालांकि सम्पूर्ण खाते में रकबे की कमी नहीं हुई है। वहीं वकील अपीलान्ट का यह कथन है कि मौके पर उसका हाल आराजी नंबर 1843 में 13 बिस्वा भूमि पर कब्जा है, परन्तु खाते में 9 बिस्वा भूमि ही अंकित की गयी है। अधिनस्थ न्यायालय के लिए यह लाजमी था कि इस प्रकरण में तनकी नंबर 3 का निर्णय करते समय मौके की जांच करवाकर यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए था कि अपीलान्ट/वादिया के कुल खाते में भूमि की कमी–बेशी तो नहीं हुई है तथा नक्शे एवं जमाबन्दी तथा मौके पर कितना रकबा उपलब्ध है, परन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सिर्फ इस आधार पर तनकी नंबर 3 का निर्णय कर दिया है कि वादिया के रकबे की कमी कहां गयी, यह उसके द्वारा नहीं बताया गया है, जबकि अपीलान्ट का यह कथन है कि उसकी जमीन का रकबा कहीं नहीं गया है एवं मौके पर 13 बिस्वा रकबा उपलब्ध है, जिस पर वह काबिज है, सिर्फ जमाबन्दी में रकबा कम दर्ज हुआ है। ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय को सम्पूर्ण खाते की भूमि, जमाबन्दी में दर्ज भूमि, नक्शे की भूमि एवं मौके पर सम्पूर्ण खाते की भूमि का आध्योपान्त विश्लेषण कर निर्णय पारित करना चाहिए था। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा काश्तकारी कानून में न्याय किये जाने के स्थान पर तकनीकि निर्णय पारित किया है, जिसे हम विधिक रूप में उचित नहीं पाते हैं, तद्नुसार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय प्रथम दृष्टया तथ्यात्मक एवं विधिक रूप से त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

अतएवं अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 30–11–2017 अपास्त की जाती है तथा प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में हमारे द्वारा उपरोक्त किये गये प्रेक्षणों को दृष्टिगत रखते हुए मौके

की जांच रिपोर्ट तलब की जाकर एवं उभयपक्षों को पुनः सुनकर तथा साक्ष्यों का विश्लेषण कर पुनः निर्णय पारित करें।

पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 15–05–2018 को उपस्थित रहें।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 15–03–2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

**(एल.एन. मंत्री)**
**भू–प्रबन्ध अधिकारी**
**एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी**
**उदयपुर**

# डिगरी व सीगे अपील

## (ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

## (Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास ..... **एल. एन. मंत्री, आर.ए.एस.** .....

**नारायणलाल दत्तक पुत्र भूरा कुम्हार, निवासी रेलमगरा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द।** बनाम **कालू पिता प्रताप कुम्हार, निवासी रेलमगरा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द व अन्य**

अपील नं.....**32 / 2013**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**.....
.....**रेलमगरा**..... मुकाम.....मुवर्खे.....**.....18**.....माह.....**04**.....**2013**

## दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**14**.....माह.....**.12**.....सन् **2015** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी...**श्री डूंगरसिंह कर्णावत**....मिनजानिब अपीलान्ट व .....**अनुपस्थित**.....

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... **अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 18–04–2013 यथावत रखा जाता है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये .... **X**..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**14**.....माह.....**.12**.....**2015** को जारी किया गया ।

**(एल.एन. मंत्री)**
**भू–प्रबन्ध अधिकारी**
**एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी**
**उदयपुर**

## खर्चा अपील

| अपीलान्ट | रू0 | पै0 | रेस्पोन्डेन्ट | रू0 | पै0 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. स्टाम्प अपील ... .....<br>2. स्टाम्प वकालत नामा .....<br>3. इजराय हुक्मनामा .....<br>4. वकील फीस बाबत .....<br>मीजान ..... | | | 1. स्टाम्प वकालत नामा...<br>2. स्टाम्प अर्जी .....<br>3. इजराय हुक्मनामा .....<br>4. मेहनताना वकील.....<br>मीजान ..... | | |

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।